**संख्या-4/2016/798/94-1-2016-218(14)/2015**

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2016

**विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 के (आय-व्ययक) अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियों को निवर्तन पर रखा जाना।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1-2016/ बी-1-746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 एवं आपके पत्र संख्या 716/नौ-104/2016 दिनांक 11-04-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष मे राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर के 03-मुख्यालय मतदेय मद में रु0 269885 हजार (रुपये छब्बीस करोड़ अट्ठानवे लाख पच्चासी हजार मात्र) तथा भारित मद में रुपये 1 हजार (रुपये एक हजार मात्र), एवं 04 जिला व्यय मतदेय मद में रुपये 908780 हजार (रुपये नब्बे करोड़ सत्तासी लाख अस्सी हजार मात्र) तथा भारित मद मे रुपये 1 हजार (रुपये एक हजार मात्र) इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रु0 1178665 हजार (रुपये एक सौ सत्रह करोड़ छियासी लाख पैंसठ हजार मात्र) तथा भारित मद मे कुल धनराशि रु0 2 हजार (रुपये दो हजार मात्र) तथा राजस्व लेखा 2059 लोक निर्माण कार्य 29-अनुरक्षण मद के अन्तर्गत रु0 25000 हजार (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रुप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों मे व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन किया जाय।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने से संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 मे दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2016/ बी-1-746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है। अतः उक्त आदेश में निहित निर्देश/ प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक-यथोपरि।**

भवदीय,

**( सुधीन्द्र कुमार )**
संयुक्त सचिव।

**संख्या-4/2016/798(1)/94-1-2016 तद्दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( भैरव नाथ शुक्ल )**
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश संख्या-4/2016/798/94-1-2016-218(14)/2015 दिनांक 13-04-2016 का संलग्नक**

(धनराशि हजार रुपये में)

| क्र0सं0 | लेखाशीर्षक राजस्व लेखा-2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन-03मुख्यालय- | निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 01- वेतन | 80000 |
| 2 | 02- मजदूरी | 50 |
| 3 | 03- मंहगाई भत्ता | 108800 |
| 4 | 04- यात्रा व्यय | 1800 |
| 5 | 05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1000 |
| 6 | 06- अन्य भत्ते | 8000 |
| 7 | 07- मानदेय | 25 |
| 8 | 08- कार्यालय व्यय | 14000 |
| 9 | 09- विद्युत देय | 1550 |
| 10 | 10- जलकरजल प्रभार/ | 500 |
| 11 | 11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 4000 |
| 12 | 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 3000 |
| 13 | 13- टेलीफोन पर व्यय | 3300 |
| 14 | 15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 22000 |
| 15 | 16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 14000 |
| 16 | 17- किरायाउप शुल्क और कर स्वामित्व , | 200 |
| 17 | 19- विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय | 50 |
| 18 | 23- गुप्त सेवा व्यय | 50 |
| 19 | 42- अन्य व्यय (मतदेय) | 10 |
| 20 | 42- अन्य व्यय (भारित) | 1 |
| 21 | 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 300 |
| 22 | 45- अवकाश यात्रा व्यय | 50 |
| 23 | 46- कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का क्रय/ | 2000 |
| 24 | 47- कम्प्यूटर अनुरक्षणतत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय/ | 3000 |
| 25 | 49- चिकित्सा व्यय | 2000 |
| 26 | 51- वर्दी व्यय | 200 |
| | **योग मतदेय** | **269885** |
| | **भारित** | **1** |

| क्र0सं0 | लेखाशीर्षक राजस्व लेखा-2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन-04जिला व्यय- | निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 01- वेतन | 310000 |
| 2 | 02- मजदूरी | 1500 |
| 3 | 03- मंहगाई भत्ता | 421600 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 04- यात्रा व्यय | 480 |
| 5 | 05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 400 |
| 6 | 06- अन्य भत्ते | 31000 |
| 7 | 07- मानदेय | 50 |
| 8 | 08- कार्यालय व्यय | 50000 |
| 9 | 09- विद्युत देय | 15000 |
| 10 | 10- जलकरजल प्रभार/ | 300 |
| 11 | 11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 1800 |
| 12 | 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 35000 |
| 13 | 13- टेलीफोन पर व्यय | 1500 |
| 14 | 16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 750 |
| 15 | 17- किरायाउप शुल्क और कर स्वामित्व , | 14000 |
| 16 | 42- अन्य व्यय (मतदेय) | 0 |
| 17 | 42- अन्य व्यय (भारित) | 1 |
| 18 | 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 500 |
| 19 | 45- अवकाश यात्रा व्यय | 100 |
| 20 | 46- कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का क्रय/ | 6000 |
| 21 | 47- कम्प्यूटर अनुरक्षणतत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय/ | 16000 |
| 22 | 49- चिकित्सा व्यय | 2400 |
| 23 | 51- वर्दी व्यय | 400 |
| | **योग मतदेय**<br>**भारित** | **908780**<br>**1** |
| | **कुल योग +लयमुख्या 0304 जिला व्यय** **1178665**<br>**रुपये एक सौ सत्रह करोड) ़ छियासी लाख पैंसठ हजार मात्र(** | |
| | **भारित** **2**<br>**(रुपये दो हजार मात्र)** | |

| लेखाशीर्षक | निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण |
|---|---|
| 2059- लोक निर्माण कार्य<br>01- कार्यालय भवन<br>051- निर्माण<br>03- अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख रखाव-<br>29- अनुरक्षण | |
| | **25000** |
| योग | **25000**<br>**(रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)** |

**( भैरव नाथ शुक्ल )**
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in